29.8.24

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप० / अप्रार्थी सं. 01 स्वयं व 2,3,4 की ओर से अप्रार्थी सं. 04 उप०। उभयपक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। अप्रार्थीगण ने जवाब नहीं देकर सीधी बहस करनी चाही। बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने बताया कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर जबरदस्ती सड़क निर्माण कार्य कर रहे हैं तथा मेरे पेट्रोल पम्प के आगे के हिस्से पर कंकरी बिछाकर मेरी पुश्तैनी भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है। मैं वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार हूँ तथा पीढ़ियों से हमारा कब्जा काश्त है अत: अप्रार्थीगण द्वारा बिना मुआवजा जबरन किये जा रहे सड़क निर्माण को रोका जावे। हमारी भूमि में PWD की कोई सड़क राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं है। अप्रार्थी सं. 04 ने बहस में बताया कि उक्त सड़क वक्त सेटलमेंट से इसी स्थान पर चल रही है तथा PWD की भूमि है इस भूमि पर PWD का सन 1950 से कब्जा है। वर्तमान में यह सड़क दांतीवाड़ा, पीपाड़ - मेड़ता स्टेट हाइवे 21 के रूप में निर्माणाधीन है। व्यापक जनहित की सड़क है जिस पर प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन रहता है अत: व्यापक जनहित में सड़क निर्माण किया जाना आवश्यक है। अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा नियमानुसार विभाग द्वारा दिया जाना प्रस्तावित है जिसकी कार्यवाई जारी किया जा चुका है। उक्त सड़क का करीब 85% हिस्सा बन चुका है प्रार्थी ने जानबूझ कर उक्त वादग्रस्त आराजी में विवाद पैदा कर सड़क निर्माण रुकवा दिया जबकि उक्त प्रोजेक्ट राज्यहित का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है समयसीमा में निर्माण किया जाना राज्य हित व व्यापक जनहित में

29/8

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
आवश्यक है। प्रार्थी का यह कथन कि रूप में स्वीकार योग्य नहीं है कि वादग्रस्त आराजी में सड़क हो नहीं है जबकि प्रार्थी स्वयं ने Indian oil Company का पेट्रोल पम्प बना रखा है जिसकी भूमि का संपरिवर्तन स्टेट हाईवे की भूमि पर करवा रखा है। संपरिवर्तन पत्रावली के दौरान सड़क होने प्रार्थी स्वयं ने स्वीकार की सड़क व पेट्रोल पम्प के मध्य की भूमि इण्डियन रोड कांग्रेस के नियमानुसार प्रार्थी स्वयं ने राज्य हक में समर्पण किया है। राज्य हक में 1950 से चला चूंकि यह सड़क 1950 से सड़क नहीं होने का रही है अतः सड़क नहीं होने का कथन किसी रूप में स्वीकार योग्य नहीं है। सिर्फ राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने से प्रार्थी को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 ने बताया कि SH-7 जवाजियर गांव से वादग्रस्त आराजी में से वर्षों से चल रही है राजस्व रेकर्ड में तरमीम त्रुटि है तथा नक्शा लिपिकीय त्रुटि है तथा त्रुटि के आधार पर लिपिकीय त्रुटि के आधार पर प्रार्थी को हक नहीं दिया जा सकता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज तथा मरकोदीकरण में बाधा उत्पन्न करना उद्देश्य है अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया कि उक्त प्रश्न करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज प्रमाव अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर	

[signature]

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of contents of the Order
	पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के कथन के तथ्यों पर मनन किया जाकर यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी S.H. 21 पांडीवाड़ा पीपाड़-मेड़ता पर अवस्थित है तथा उक्त सड़क 1950 से इसी स्थान पर चल रही है मात्र राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं होने के आधार पर जनहित के व्यापक प्रोजेक्ट को रोका जाना उचित प्रतीत नहीं होता। साथ ही प्रार्थी का पेट्रोल पम्प इसी सड़क पर अवस्थित है व इसी पेट्रोल पम्प की भूमि संपरिवर्तन के दौरान प्रार्थी स्वयं ने इसी रोड SH-21 को आधार मानकर इसी सड़क के मध्य बिन्दु से इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डानुसार संपरिवर्तित भूमि व हाइवे के बीच की भूमि राजपथ में ~~संपरिवर्तित~~ समर्पित की थी। अतः ~~स्थापित~~ आजादी से यह सड़क प्रार्थी के जानकारी में इसी जगह चलती रही है। प्रार्थी स्वयं शिक्षित व सेवानिवृत्त शिक्षक है अतः अज्ञानता की बात को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। तमाम तथ्यों के आधार पर न्यायालय इस निर्णय पर पहुंचता है कि स्टेट हाइवे पांडीवाड़ा-पीपाड़-मेड़ता सड़क व्यापक जनहित में है तथा सड़क निर्माणाधीन है राज्य सरकार का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसे निर्धारित समय-सीमा में	

[signature]

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER ....

urt of .... at ....

Kind of the Case ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

te	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	में कार्य पूर्ण किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी स्वयं शिक्षित व सेवानिवृत कर्मचारी है तथा स्वयं ने सड़क स्वीकार करा संपादन के समक्ष भूमि समर्पित की है अत: व्यापक जनहित को देखते हुए सड़क निर्माण में रोड़े अटकाने के उद्देश्य से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। सुविधा का संतुलन प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होने का कोई साक्ष्य प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर तकमील की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (signature)	